

राजस्थान सरकार

निदेशालय राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर


क्रमांक : एफ.1 (ए) 102/अधिकारी/पार्ट-8/संस्था/बीमा/2020/

दिनांक: 22-10-2020

आदेश 381

राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग-1) से जारी आज्ञा दिनांक 15.09.2020 के क्रम में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के द्वारा एसएसओ पोर्टल पर राज-काज मॉड्यूल में ऑनलाइन आवेदन करने का प्रावधान किया गया है। उक्त आवेदन करने पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा के अधिकारियों को उनके एसएसओ आईडी के माध्यम से राज-काज मॉड्यूल में ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध होगी जिसकी प्रोसेसिंग टाईम लाइन प्रारम्भ की दिनांक 22.10.2020 से अन्तिम दिनांक 27.10.2020 है।

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा के समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि यदि वे वर्तमान पदस्थापन से अन्यत्र स्थानान्तरण/पदस्थापन चाहते हैं तो उन्हें अपना स्थानान्तरण आवेदन अपनी स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से राज-काज मॉड्यूल में ऑनलाइन सब्मिट करना आवश्यक होगा।



(के० एम० दूडिया)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :- 9029

क्रमांक : एफ.1 (ए) 102/अधिकारी/पार्ट-8/संस्था/बीमा/2020/3980 दिनांक: 22-10-2020

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रा० नि० विभाग, मुख्यालय जयपुर।
2. वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (राज्य बीमा/सतर्कता) मुख्यालय जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग मुख्यालय/साबीयो।
4. वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. निधि विभाग, संभाग कार्यालय
5. समस्त संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. निधि विभाग, जिला कार्यालय
6. सिस्टम एनालिस्ट/एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मुख्यालय जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित (Upload) करवाने हेतु।
7. कैंडर स्ट्रेन्थ लिपिक
8. रक्षित पत्रावली


(के० एम० दूडिया)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान जयपुर